

भारत सरकार
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक: 10 जून, 2013


अधिसूचना

सा.का.नि.------(अ)---अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के परामर्श से अखिल भारतीय सेवा नियम, 1969 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत :-

1. (1) इन नियमों को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) संशोधन नियम, 2014 कहा जा सकेगा ।
(2) ये नियम उनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
2. अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 में नियम 8 के उप नियम (2) में निम्नलिखित परन्तुक शामिल किए जाएंगे, नामत:-

“बशर्ते कि जहां अखिल भारतीय सेवा (यौन उत्पीड़न निवारण) विनियम, 1998 के नियम 3 के अर्थ में यौन उत्पीड़न की शिकायत की गई है, वहां ऐसी शिकायतों की जांच करने हेतु प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग अथवा कार्यालय में स्थापित शिकायत समितियों को इन नियमों के प्रयोजन से अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त जांच प्राधिकारी माना जाएगा, तथा यदि यौन उत्पीड़न की शिकायत के संबंध में जांच हेतु शिकायत समितियों के लिए अलग प्रक्रिया निर्धारित न की गई हो तो शिकायत समिति जहां तक व्यवहारिक हो, इन नियमों में दी गई प्रक्रिया के अनुसार जांच करेगी।”

सं.11018/4/2012-अ.भा.से.-III


(मनोज कुमार द्विवेदी)
निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी : प्रधान नियम दिनांक 20.03.1969 की अधिसूचना संख्या 7/15/63-अ.भा.से (II) द्वारा प्रकाशित
दिए गए एवं तत्पश्चात् निम्नलिखित के द्वारा संशोधित किए गए थे:-

- i) सा.का.नि.सं. 588 दिनांक 24 अप्रैल, 1971
- ii) अधिसूचना सं. 13/4/71 - अ.भा.से (III) दिनांक 11 जनवरी, 1972
- iii) अधिसूचना सं. 31/7/72 - अ.भा.से (III) दिनांक 22 मई, 1972
- iv) सा.का.नि.सं. 872 दिनांक 19 जुलाई, 1975
- v) सा.का.नि.सं. 985 दिनांक 9 अगस्त, 1975
- vi) सा.का.नि.सं. 988 दिनांक 9 अगस्त, 1975
- vii) सा.का.नि.सं. 358 दिनांक 19 मार्च, 1977
- viii) सा.का.नि.सं. 983 दिनांक 30 जुलाई, 1977
- ix) सा.का.नि.सं. 753 दिनांक 17 जून, 1978
- x) सा.का.नि.सं. 1415 दिनांक 2 दिसम्बर, 1978
- xi) अधिसूचना सं. 11018/13/78 - अ.भा.से (III) दिनांक 4 जनवरी, 1979
- xii) अधिसूचना सं. 11018/11/78 - अ.भा.से (III) दिनांक 16 जून, 1979
- xiii) सा.का.नि.सं. 1220 दिनांक 29 नवम्बर, 1980
- xiv) सा.का.नि.सं. 959 दिनांक 31 अक्टूबर, 1981
- xv) सा.का.नि.सं. 92 दिनांक 31 जनवरी, 1982
- xvi) सा.का.नि.सं. 612 दिनांक 20 अगस्त, 1983
- xvii) सा.का.नि.सं. 162 दिनांक 18 फरवरी, 1984
- xviii) अधिसूचना सं. 11018/2/87 - अ.भा.से (III) दिनांक 9 फरवरी, 1988
- xix) अधिसूचना सं. 11018/7/87 - अ.भा.से (III) दिनांक 26 फरवरी, 1988
- xx) सा.का.नि.सं. 130 दिनांक 25 जुलाई, 1998
- xxi) सा.का.नि.सं. 177 दिनांक 12 सितम्बर, 1998
- xxii) सा.का.नि.सं. 212 दिनांक 17 जून, 2000
- xxiii) सा.का.नि.सं. 118 दिनांक 13 अप्रैल, 2002
- xxiv) सा.का.नि.सं. 249 दिनांक 12 जुलाई, 2003
- xxv) सा.का.नि.सं. 714ई दिनांक 30 सितम्बर, 2009
- xxvi) सा.का.नि.सं. 212 दिनांक 22 नवम्बर, 2010

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी रिंग रोड, नई दिल्ली